न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 146/2020

उनवान

1. तुलसीराम पुत्र हरदेव,
2. शंकर पुत्र हरदेव,
3. परमानन्द पुत्र सुगनाराम,
4. भागचन्द,
5. कैलाशचन्द,
6. संजय,
7. माया,
8. मोना पि0 रामबक्ष, जाति रेगर नि0 दिलवाडी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मादू पुत्र हरजी,
2. रामेदव पुत्र हरजी,
3. जस्सा पुत्र हरजी,
4. श्रीराम पुत्र हरजी,
5. सीता पत्नी गोविन्द,
6. कालू ना.बा. पुत्र गोविन्द, जरियें प्राकृतिक संरक्षक सीता,
7. रूकमा पत्नी रामचन्द्र,
8. नारायण,
9. पप्पू पि0 रामचन्द्र,
10. गिरधारी पुत्र हजारी,
11. अन्ना उर्फ अर्जन पुत्र हजारी,
12. नौसर पत्नी हरचन्द,
13. महावीर पुत्र हरचन्द,
14. सांवरा पुत्र हरचन्द,
15. बाबू पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर नि0 दिलवाडी, नसीराबाद,
16. उप पंजीयक, नसीराबाद,
17. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 15 अनुपस्थित,
16 व 17 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान [illegible] अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दिनांक :– 21.4.25

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के वंर्किग खसरा नम्बर 1562 रकबा 3–4–0 के हाल खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.06, 1838 रकबा 0.12, 1840 रकबा 0.06, 1841 रकबा 0.12 व 1846/2229 रकबा 0.15 की आराजी मादू, जस्सा, रामदेव, श्रीराम, गोविन्द पि. हरजी, देउ पत्नी हरजी, हजारी पुत्र घासी, मानी पत्नी पन्ना द्वारा तुलसीराम, शंकर, रामबक्ष व परमानन्द को दिनांक 11.04.1996 को जरियें पंजीबद्ध विक्रय पत्र बैचान कर दी थी। कय दिनांक से आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विकेता गोविन्द पि. हरजी, देउ पत्नी हरजी, हजारी पुत्र घासी, मानी पत्नी पन्ना की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 15 है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा विकय पत्र की पालना में वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय हाल खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.06, 1838 रकबा 0.12, 1840 रकबा 0.06, 1841 रकबा 0.12 व 1846/2229 रकबा 0.15 प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिये गये। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.06, 1838 रकबा 0.12, 1840 रकबा 0.06, 1841 रकबा 0.12 व 1846/2229 रकबा 0.15 भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 1562 मिन रकबा 2–4–0, 1562 मिन रकबा 0–12–0 सिवायचक दर्ज है। अतः वाद निरस्त योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी/पूर्वज की विधिक कयशुदा है ?

— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम दिलवाडी के वंर्किग खसरा नम्बर 1562 मिन रकबा 2–4–0, 1562 मिन रकबा 0–12–0 सिवायचक दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 1562 रकबा 0–8–0 विकेता/पूर्वज की खातेदारी में दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में वंर्किग खसरा नम्बर 1562 [illegible] का सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 1562 रकबा 3–4–0 की आराजी ततकालीन खातेदार मादू, [illegible] गोविन्द पि. हरजी, देउ पत्नी हरजी, हजारी पुत्र घासी, मानी पत्नी [illegible] द्वारा तुलसीराम, शंकर, रामबक्ष व परमानन्द को दिनांक 11.04.1996 को जरियें पंजीबद्ध विकय पत्र बैचान कर दी थी। कय दिनांक से आराजी

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आराजी मुताजा वंर्किग जमाबंदी में सिवायचक थी। अजमेर जिले में भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के उद्देश्य से उक्त आराजी विक्रेतागण को नियमन की गयी। विक्रेतागण को आराजी मुतनाजा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। विक्रेतागण द्वारा भूमि का बैचान प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादीगण/पूर्वज को कर दिया है। पूर्व में किया गया बैचान पंजीबद्व होने से उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिवस तक विक्रय पत्र के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन में कोई जवाब साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उसके कथनों की ताईद होती है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। वंर्किग खसरा नम्बर 1562 रकबा 3–4–0 की आराजी वंर्किग जमाबंदी में तत्कालीन खातेदार खातेदार मादू, जस्सा, रामदेव, श्रीराम, गोविन्द पि. हरजी, देउ पत्नी हरजी, हजारी पुत्र घासी, मानी पत्नी पन्ना द्वारा तुलसीराम, शंकर, रामबक्ष व परमानन्द को दिनांक 11.04.1996 को जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र बैचान कर दी थी। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक क्रयशुदा है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम दिलवाडी के वंर्किग खसरा नम्बर 1562 रकबा 3–4–0 के हाल खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.06, 1838 रकबा 0.12, 1840 रकबा 0.06, 1841 रकबा 0.12 व 1846/2229 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:49 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

तुलसीराम वगै. बनाम मादू वगै.

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 146/2020
पेश करने की दिनांक – 09.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडी के वंर्किग खसरा नम्बर 1562 रकबा 3–4–0 के हाल खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.06, 1838 रकबा 0.12, 1840 रकबा 0.06, 1841 रकबा 0.12 व 1846/2229 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।
बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद